RBE No. 76/2001

SC No. 2 TO MC No. 40

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Railways/Rail Mantralaya
(Railway Board)
.....

No. E(NG)I-2000/DP/43 **New Delhi, dated 18-4-2001**

The General Manager
All Indian Railways
(As per standard list)

Sub: Deputation of Railway employees to Central Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies.

In terms of the instructions contained in the then Bureau of Public Enterprises (now Deptt. of Public Enterprises) O.M. No.5(25)-83-BPE(PESB) dated 6.3.1985, circulated vide this Ministry's letter No.F(E)II-86/DE1 dated 25.3.1986, deputation of Government servants (including Railway servants) to Central Public Sector Enterprises is banned. Similarly, deputation of Govt. servants is not permitted to posts in Central Autonomous Bodies. Thus the Railway servants can join the Central Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies only on immediate absorption basis by severing their connection from Railway service. However, the following enterprises have been exempted from the rule of immediate absorption and deputation is permitted at the level of Chief Executives and Regional/Zonal Chiefs in these enterprises:-

(i) Central Cottage Industries Corporation.
(ii) Central Inland Water Transport Corporation.
(iii) Central Warehousing Corporation.
(iv) Cotton Corporation of India.
(v) Food Corporation of India.
(vi) Handicrafts & Handlooms Export Corporation Ltd.
(vii) National Handloom Development Corporation.
(viii) National Seeds Corporation.
(ix) Rehabilitation Industries Corporation.
(x) Rural Electrification Corporation.
(xi) State Farms Coroporation.
(Xii) Trade Fair Authority of India.

...2/-

1.1. The posts of Chief Vigilance Officers in Central Public Sector Enterprises have also been permitted to be filled on deputation. However, vide the Deptt. of Public Enterprises O.M. No. 23/10/98-GM dated 30.05.2000, posts of second level functionaries in the Vigilance Departments of Public Sector Enterprises below Chief Vigilance Officers can no longer be filled on deputation basis. In other words, the exemption earlier available from the rule of immediate absorption to second level functionaries in the Vigilance Organisations of Central Public Sector Enterprises has since been withdrawn by the Government and Railway servants can be sent only on immediate absorption basis to join posts below Chief Vigilance Officers in the Central Public Sector Enterprises.

1.2. The following Undertakings under the aegis of the Ministry of Railways have also been granted exemption from the rule of immediate absorption for a specified period as indicated against each:-

Undertakings	Date upto which exemption is available
i) Rail India Technical & Economic Services Ltd. (RITES), New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi	04.03.2002
ii)IRCON International Ltd., Palika Bhawan, R.K. Puram, Sector XIII, New Delhi	04.03.2002
iii)Container Corporation of India Ltd.(CONCOR), Le Meridien Commercial Tower, II floor, Raisina Road, New Delhi	07.09.2002

1.2.1. In the case of CONCOR, exemption from the rule of immediate absorption has been granted only in respect of certain posts identified for this purpose as listed in Annexure I to this letter. The posts listed in Annexure I are the ones proposed by CONCOR, for exemption from the rule of immediate absorption vide Annexure 'C' to their letter No. CON/HRD/62/1(A)1842 dated 30.7.97. In other words, deputation of Railway servants to CONCOR is permitted only for appointment to these posts and posts other than these can be manned by Railway servants only on immediate absorption basis.

1.3 The Centre for Railway Information Systems (CRIS), an autonomous organisation under the aegis of the Ministry of

...3/-

Railways, has also been exempted from the rule of immediate absorption up to 30.06.2006.

2. Accordingly, GMs may permit deputation of non-gazetted Railway employees to Undertakings, etc. under the aegis of this Ministry subject to para 1.2.1 above, for a maximum period of three years, subject further to the condition that the period of deputation does not go beyond the date up to which the Undertakings etc. have been exempted from the rule of immediate absorption.

3. Instances have, however, come to the notice of this Ministry that some of the Railways continue to permit deputation of Railway servants to posts in and to Central Public Sector Enterprises/ Autonomous Bodies which are not exempted from the rule of immediate absorption in violation of the Government's extant policy as mentioned above resulting in complications attendant thereto. Since GMs are generally competent to send non-gazetted employees on deputation, the cases of unauthorised deputation come to this Ministry's notice only when proposals for extension of deputation beyond three years are received by them, when they are left with no choice but to order repatriation of the employee concerned to the parent Railway thereby putting the borrowing organisation as also the employee concerned to inconvenience.

4. The Ministry of Railways, therefore, desire that the extant policy of the Government should be strictly adhered to and corrective steps taken wherever a Railway servant has been sent on deputation to a Central Public Sector Undertaking/Autonomous Body which is not exempted from the rule of immediate absorption.

5. In future, whenever the Railways receive a proposal for services of Railway employees on deputation from Central Public Sector Enterprises/Autonomous Bodies, the following guidelines/checks should be kept in view before taking action on the proposal:-

i) Whether the Central Public Sector Enterprise/Autonomous body concerned is exempted from the rule of immediate absorption and, if so, the authority therefor;

ii) whether the enterprise/autonomous body is exempted from the rule of immediate absorption in respect of posts for appointment to which the services of Railway Servants have been asked for; and

...4/-

iii) the date up to which the enterprise/autonomous body is exempted from the rule of immediate absorption.

Only after the Railways are satisfied with reference to the above mentioned points, further action as per extant procedure be taken for making available the services of Railway servants on deputation to the organisation concerned.

Please acknowledge receipt.

(J.S.Gusain)
Joint Director, Estt.(N)
Railway Board

DA : As Above.

No.E(NG)I-2000/DP/43 New Delhi dated 18-4-2001

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, All India Railwaymen Federation, Room No.253, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).

2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, Room No.256-E , Rail Bhavan, New Delhi(with 35 spares).

3. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C. Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares).

4. The Secretary General, Federation of Railway Officers Association, Room No. 256-A, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).

5. The Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Association, Room No. 268, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).

for Secretary / Railway Board

Copy to:-

PSs to MR,MSR(OR),MSR(D)

PPSs to CRB, FC,MS,MM,MT,ML,ME.

PPSs to AM(S),DG/RHS,DG/RPF, ADG(DS), ADV(IR).

...5/-

ANNEXURE-I

No. E(NG)I-2000/DP/43 Dated : 18-4-2001

List of Posts in CONCOR to which Railway Servants can be appointed on deputation as per prescribed procedure.
(Pleas see para 1.2.1. of the main letter)

S. No.	Post		Number of posts
1.	Executive Director (Technical)	-	01
2.	Group General Manager(Training)	-	01
3.	Group General Manager(Customs)	-	01
4.	Group General Manager(Finance)	-	01
5.	Group General Manager(Ops)	-	01
6.	Group General Manager(P&D)	-	01
7(a).	Group General Manager(Engg)	-	01
(b).	Dy. General Manager (Engg.)	-	02
(c).	Dy.General Manager(Civil)	-	02
8.	General Manager(Commercial)	-	01
9.	Dy. General Manager (Planning)	-	01
10.	Sr.Manager (Ops)Corporate Office	-	01
11.	Asstt. Manager (Accounts)	-	02
12.	Asstt. Manager (MIS)	-	01
13.	Asstt. Manager(Marketing)	-	01
14(a)	Executive Director (NR)	-	01
(b)	CGM/Eastern Region, Calcutta	-	01
(c)	RGM/Mumbai & RGM/Hyderabad	-	02
(d)	Chief Manager/ICD, Nagpur,Indore & TNPM	-	03
(e)	Dy.Gen. Manager/Cochin	-	01
(f)	Sr. Manager/DDL, Sabarmati, Mulund, Raxoul, Coimbatore, Mangalore, Kakinada, Panipat, Moradabad, Baroda, Quilon, Goa, Jaipur, Tuticorin, VSP, Kanpur & Aurangabad	-	17

(g)	Barghar, Wadibunder, Shalimar, Vijayawada, Gwalior, Balsor, Tinsukhia, G.Noida, Ballabhgarh, Nasik & Guntur	-	11
15(a)	Gen. Manager(Ops)/TDK	-	01
(b)	Dy.Gen. Manager(Ops)/Chennai and Dy.Gen. Manager/Mumbai	-	03
16.	Dy.Gen. Manager(A/cs)/TKD	-	01
17.	Dy.Gen. Manager(Tech)/TKD	-	01
18.	Sr. Manager (Tech)/Tughlakabad	-	01
19.	Dy.Manager(Tech)/Tughlakabad	-	01
20.	Sr. Manager (Indore)	-	01
21.	Dy.Manager(Accounts), Calcutta	-	01
22.	Asstt. Manager (Tech.)/TKD1	-	01
23.	Asstt.Manager (Ops &Comml.) at Hyderabad, TKD and Ludhiana	-	03

आर बी ई सं 76 2001

एसटी सं. 40 के लिए एसटी सं.2

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एन सी) 1-2000/डी पी/43 नई दिल्ली, दि. 18.4.2001

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें
(मानक सूची के अनुसार)

विषय : सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में रेल कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति.

.....

तत्कालीन सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (अब सार्वजनिक उद्यम विभाग) के दिनों 6.3.1985 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5(25)-83-पी पी ई (डी ई एस बी), जिसे रेल मंत्रालय के दिनांक 25.3.1986 के पत्र सं. एफ (ई) II-86/डी ई 1 के तहत परिपत्रित किया गया था, में अन्तर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों (रेल सेवकों सहित) की, सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर प्रतिबंध है. इसी तरह, केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के पदों पर सरकारी सेवकों की प्रतिनियुक्ति अनुमेय नहीं है. अतः रेल सेवक केवल रेल से संबंध विच्छेद करके तत्काल समाहन के आधार पर ही सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं. बहरहाल, निम्नलिखित उपक्रमों को तत्काल समाहन के नियम से छूट दी गई है और इन उपक्रमों में मुख्य कार्यपालकों/क्षेत्रीय/जोनल चीफ के स्तर पर प्रतिनियुक्ति की अनुमति है :-

(1) केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम
(2) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम
(3) सैन्ट्रल वेयर हाउसिंग निगम
(4) भारतीय कपास निगम
(5) भारतीय खाद्य निगम

2/....

§6§ हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड

§7§ राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम

§8§ राष्ट्रीय बीज निगम

§9§ पुनर्स्थापन उद्योग निगम

§10§ ग्रामीण विद्युतीकरण निगम

§11§ राज्य कृषि निगम

§12§ भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण

1.1 सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पदों को भी प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने की अनुमति है. बहरहाल, जन उपक्रम विभाग के दिनांक 30.5.2000 के कार्यालय ज्ञापन सं. 23.10.98-जी एम के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम विभाग में मुख्य सतर्कता अधिकारियों से नीचे दूसरे स्तर के अधिकारियों के पदों को अब प्रतिनियुक्ति के आधार पर नहीं भरा जाएगा. अन्य शब्दों में, सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के सतर्कता संगठनों में दूसरे स्तर के कर्मचारियों के तत्काल समाहन से संबंधित नियम में उपलब्ध पूर्ववर्ती छूट को सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है और रेल कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों में मुख्य सतर्कता अधिकारी से नीचे के पदों पर केवल तत्काल समाहन के आधार पर ही कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं.

1.2 रेल मंत्रालय के संरक्षणाधीन निम्नलिखित उपक्रमों को भी, उनके सामने दर्शाई गई विनिर्दिष्ट अवधि के लिए तत्काल समाहन के नियम से छूट दी गई है. :-

ह/....

उपक्रम	उपलब्ध छूट की तारीख
i रेल इंडिया टेकनीकल एंड इकॉनॉमिक सर्विसेज लिमि. (राइट्स), नई दिल्ली हाउस, 27, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली.	04.03.2002
ii इरकॉन इंटरनेशनल लिमि., पालिका भवन, आर.के.पुरम सेक्टर XIII, नई दिल्ली.	04.03.2002
iii भारतीय कंटेनर निगम लिमि. (कॉनकोर) ली. मेरीडियन कमर्शियल टावर II फ्लोर रायसीना रोड, नई दिल्ली.	07.09.2002

1.2.1 कॉनकोर के मामले में, तत्काल समाहन के नियम से छूट केवल इस प्रयोजनार्थ पहचाने गए कतिपय पदों के लिए ही प्रदान की गई है जैसा कि इस पत्र के अनुबंध-I में सूचीबद्ध है. अनुबंध-I में सूचीबद्ध पद वे पद हैं जिनके लिए तत्काल समाहन के नियम से छूट देने का प्रस्ताव कॉनकोर द्वारा अपने दिनांक 30.7.97 के पत्र सं. कॉन/एच आर डी/62/1(ए) 1842 के अनुबंध "ग" में किया गया है. दूसरे शब्दों में, कॉनकोर में रेल सेवकों की प्रति-नियुक्ति केवल इन्हीं पदों में भर्ती के लिए अनुमेय है और इन पदों से इतर पदों पर रेल सेवकों की तैनाती केवल तत्काल समाहन के आधार पर ही की जा सकती है.

1.3 रेल सूचना प्रणाली केन्द्र (क्रिस), रेल मंत्रालय के संरक्षणाधीन एक स्वायत्त संगठन को भी 30.06.2006 तक तत्काल समाहन के नियम से छूट दी गई है.

4/-

2. तद्नुसार, महाप्रबंधक, उपर्युक्त पैरा 1.2.1 के अध्यधीन इस मंत्रालय के संरक्षणाधीन उपक्रमों आदि में अधिकतम तीन वर्षों की अवधि के लिए अराजपत्रित कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की अनुमति दे सकते हैं जो आगे इस शर्त के अध्यधीन है कि प्रतिनियुक्ति की अवधि उस तारीख से अधिक नहीं होगी जिस तारीख तक के लिए उस उपक्रम आदि को तत्काल समाहन के नियम से छूट दी गई है.

3. फिर भी इस मंत्रालय के नोटिस में यह आया है कि कुछ रेलें सार्वजनिक क्षेत्र के उन केन्द्रीय उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में रेल कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की अनुमति दे रही हैं जिन्हें तत्काल समाहन के नियम से छूट प्राप्त नहीं है और जिससे सरकार की उपर्युक्त मौजूदा नीति का उल्लंघन हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप जटिलताएं पैदा हो रही हैं. सामान्यत: महाप्रबंधक अराजपत्रित कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए सक्षम हैं लेकिन अप्राधिकृत रूप से प्रतिनियुक्ति पर भेजने के मामले इस मंत्रालय के नोटिस में केवल तब ही आते हैं जब उन्हे प्रतिनियुक्ति अवधि की तीन वर्ष से आगे बढ़ाने के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और तब संबंधित कर्मचारी को उसकी मूल रेलवे में वापस भेजने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं होता जिससे प्रतिनियुक्ति पर लेने वाले संगठन और संबंधित कर्मचारी दोनों को ही असुविधा होती है.

4. अत: रेल मंत्रालय चाहता है कि सरकार की वर्तमान नीति का कड़ाई से पालन किया जाए तथा जहां रेलवे कर्मचारी को ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम/स्वायत्त निकाय में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया हो, जहां तत्काल समाहन के नियमों से छूट नहीं है, सुधारक कदम उठाए जाएं.

...5/-

5. भविष्य में जब कभी रेलों को सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उधमों/स्वायत्त निकायों से प्रतिनियुक्ति पर रेलवे कर्मचारियों की सेवाओं के प्रस्ताव प्राप्त हों, तो उस प्रस्ताव पर कार्रवाई करने से पहले निम्नलिखित मार्गनिदेशों/बातों को ध्यान में रखा जाए :-

i क्या संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रम/स्वायत्त निकाय को तत्काल समाहन के नियम से छूट प्राप्त है तथा यदि है उसके लिए प्राधिकार,

ii क्या उधम/स्वायत्त निकाय में उन पदों के संबंध में तत्काल समाहन के नियम से छूट है, जिन पर नियुक्ति के लिए रेल सेवकों की सेवाएं मांगी जाती हैं, और

iii जिस तारीख तक उधम/स्वायत्त निकाय को तत्काल समाहन के नियमों से छूट प्राप्त है.

उपर्युक्त मुद्दों के संदर्भ में रेलों के संतुष्ट हो जाने के बाद ही, संबंधित संगठन में प्रतिनियुक्ति पर रेल सेवकों की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार आगे कार्रवाई की जाए.

कृपया पावती दें.

(जे. एस. गुलाटी)
संयुक्त निदेशक, स्था. (अराज.)
रेलवे बोर्ड.

संलग्नक : यथोक्त

...6/-

सं. ई (एन जी) I-2000/डी पी/43 नई दिल्ली, दि. 18.4.2001

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. महासचिव, आल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)

2. महासचिव, नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)

3. सभी सदस्य, विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 प्रतियों सहित)

4. महासचिव, फेडरेशन आफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 प्रतियों सहित)

5. महासचिव, इंडियन रेलवे प्रोमोटी आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 प्रतियों सहित).

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित :-

निजी सचिव/रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री (ओ आर), रेल राज्य मंत्री (डी)
प्र. नि. स./अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य कार्मिक, सदस्य यांत्रिक, सदस्य यातायात, सदस्य बिजली, सदस्य इंजीनियरी.

...7/-

अनुबंध -I

सं. ई(एन जी) I-2000/डी पी/43 दि. 18.9.2001

कॉनकोर में उन पदों की सूची जिन पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर रेल सेवकों को नियुक्त किया जा सकता है.

(कृपया मुख्य पत्र का पैरा 1.2.1 देखें)

क्र.सं.	पद	पदों की संख्या
1.	कार्यपालक निदेशक, (तकनीकी)	01
2.	ग्रुप महाप्रबंधक (प्रशिक्षण)	01
3.	ग्रुप महाप्रबंधक (कस्टम)	01
4.	ग्रुप महाप्रबंधक (वित्त)	01
5.	ग्रुप महाप्रबंधक (परिचालन)	01
6.	ग्रुप महाप्रबंधक (पी एंड डी)	01
7.	(क) ग्रुप महाप्रबंधक (इंजीनियरी)	01
	(ख) महाप्रबंधक (इंजीनियरी)	02
	(ग) उप महाप्रबंधक (सिविल)	02
8.	महाप्रबंधक (वाणिज्य)	01
9.	उप महाप्रबंधक (योजना)	01
10.	अतिरिक्त प्रबंधक (परिचालन) निगमित कार्यालय	01
11.	सहायक प्रबंधक (विपणन)	02
12.	सहायक प्रबंधक (एमआईएस)	01
13.	सहायक प्रबंधक (विपणन)	01
14.	(क) कार्यपालक निदेशक (एन आर)	01
	(ख) मुख्य महाप्रबंधक /पूर्वी क्षेत्र, कलकत्ता	01
	(ग) क्षेत्रीय महाप्रबंधक/मुंबई एवं क्षेत्रीय महाप्रबंधक/ हैदराबाद	02
	(घ) मुख्य प्रबंधक/आई सी डी, नागपुर, इंदौर एवं टी एन पी एल	03
	(ङ) उप महाप्रबंधक/कोचीन	01

...2/-

(घ) वरिष्ठ प्रबंधक/डी डी एल, साबरमती, मुलुंद, रक्सौल, कोयम्बतूर, मैंगलोर, काकीनाड़ा, पानीपत, मुरादबाद, बड़ौदा, कोल्लम, गोवा, जयपुर, तूतीकोरिन, वी एस पी, कानपुर एवं औरंगाबाद 17

(छ) बरगढ़, वाडीबुंडर, शालीमार, विजयवाड़ा, ग्वालियर, बलासोर, तिनसुकिया, ग्रेटर नोएडा, बल्लभगढ़, नासिक एवं गुंटुर 11

15. (क) महाप्रबंधक (परिचालन)/टीडी के 01

(ख) उप महाप्रबंधक (परिचालन)/चेन्नै एवं उप महाप्रबंधक/मुंबई 03

16. उप महाप्रबंधक (लेखा)/टीकेडी 01

17. उप महाप्रबंधक (तकनीकी)/टी के डी 01

18. वरिष्ठ प्रबंधक (तकनीकी)/तुगलकाबाद 01

19. उप प्रबंधक (तकनीकी) तुगलकाबाद 01

20. वरिष्ठ प्रबंधक (इंदौर) 01

21. उप प्रबंधक (लेखा), कलकत्ता 01

22. सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/टी के डी 01

23. सहायक प्रबंधक (परिचालन एवं वाणिज्य), हैदराबाद, टी के डी तथा लुधियाना 03